भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5456

उत्तर देने की तारीख : 05.04.2022

पीएमएजीवाई का कार्यान्वयन

5456. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का ब्यौरा क्या है तथा इसके बजट, उद्देश्य, लक्ष्य और इस योजना के अंतर्गत पात्रता का ब्यौरा क्या है;
(ख) ओडिशा में एकीकृत विकास के लिए पीएमएजीवाई के अंतर्गत कितने गांवों को गोद लिया गया है;
(ग) आदर्श ग्राम घोषित किए गए गांवों की संख्या कितनी है और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया और ऐसे गांवों के प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा में स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में सभी पात्र परिवारों को पीएमजीएवाई आवासों के अंतर्गत किए गए आबंटनों की जिले-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): केन्द्रीय प्रायोजित प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) अनुसूचित जाति (एससी) बहुलक ग्रामों के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2009-10 से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 में, स्कीम कार्यान्वयन दिशा निर्देशों में व्यापक रूप से संशोधन किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान यह स्कीम, विभाग की मौजूदा अन्य दो स्कीमों के साथ विलय कर दी गई जो अब प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के नाम से जाना जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1800.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

पीएम-एजेएवाई की विलय स्कीम के "आदर्श ग्राम" घटक का मुख्य उद्देश्य एससी बहुलक ग्रामों का एकीकृत विकास करना है जो :

1. प्राथमिक तौर पर प्रासंगिक केन्द्रीय और राज्य स्कीमों के कार्यान्वयन को अभिसरित करके; तथा
2. वैसे कार्य जो मौजूदा केन्द्रीय या राज्य सरकारों की योजना से नहीं कराए जा सकते, उन्हें योजना के तहत गैप फिलिंग फंड के रूप में प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि से, जो प्रति गांव 20 लाख रुपए है, किया जाना।

इस स्कीम को पायलट आधार पर आरंभ किया गया जिसमें ऐसे 1000 गांवों का चयन किया गया था। वर्ष 2014-15 में, योजना का विस्तार 1500 नए गांवों में किया गया। वर्ष 2018-19 से अब तक, स्कीम के अंतर्गत 19080 गांवों का चयन किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 तक, 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव स्कीम के अंतर्गत चयन के लिए पात्र थे। वर्ष 2018-19 से, 500 या उससे अधिक कुल जनसंख्या वाले वैसे गांव जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है, स्कीम के अंतर्गत चयनित होने के लिए वर्तमान में पात्र हैं।

(ख): ओडिशा में, वर्ष 2014-15 में कुल 175 गांवों का चयन किया गया जिसमें से 169 गांव पात्र पाए गए। वर्ष 2018-19 के बाद से 946 गांवों का चयन किया गया है जिनमें से आज की तारीख तक 904 गांव पात्र पाए गए हैं।

(ग): आज की तारीख तक, वांछित पैरामीटरों को पूरा करने पर अब तक 2487 गांव 'आदर्श ग्राम' के रूप में घोषित किए जा चुके हैं जिसमें से ओडिशा के 83 गांव हैं।

(घ): पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभाग द्वारा ओडिशा राज्य सरकार को जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई निधि निम्नवत है :

(रुपए लाख में)

वर्ष	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
2018-19	2818.00	2591.70
2019-20	1787.60	0.00
2020-21	0.00	0.00
2021-22	8172.34	0.00

(ड.): वर्ष 2018-19 में, पीएमएजीएवाई की मौजूदा स्कीम दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की स्कीम के अंतर्गत चयन किए गए सभी पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा पीएमएजीवाई के पोर्टल पर अपलोड की गई स्थिति के अनुसार, आज की तारीख तक, ओडिशा के पीएमएजीवाई गांवों में, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, घरों के लिए कुल 61,554 परिवार पात्र पाए गए हैं, जिनमें से पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 73 परिवारों को घर आवंटित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध-I

"पीएमएजीवाई का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री सुनील कुमार सिंह और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा लोकसभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5456 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ओडिशा के पीएमएजीवाई ग्रामों में पीएमएवाई-जी परिवारों के अंतर्गत जिला-वार आवंटन का ब्यौरा

क्रम सं.	जिला	ओडिशा के पीएमएजीवाई ग्रामों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत घरों के लिए पात्र पाए गए परिवारों की संख्या	पीएमएवाई-जी योजना के तहत परिवारों को प्रदान किए गए घरों की संख्या (दिनांक 31.03.2022 के अनुसार)
1.	अनुगुल	1766	0
2.	बलांगीर	1506	0
3.	बालासोर	6837	0
4.	बारगढ़	993	0
5.	भद्रक	6378	3
6.	बौध	484	66
7.	कटक	3825	0
8.	देवगढ़	614	0
9.	ढैंकनाल	2491	0
10.	गजपति	241	0
11.	गंजम	1108	0
12.	जगतसिंहपुर	315	0
13.	जाजापुर	3159	0
14.	झारसुगुडा	558	0
15.	कालाहांडी	2234	0
16.	कंधमाली	1705	0
17.	केंद्रपाड़ा	4379	0
18.	क्योंझार	3114	0
19.	खोरधा	1152	4
20.	कोरापुट	884	0
21.	मल्कनगिरी	2843	0
22.	मयूरभंज	1287	0
23.	नबरंगपुर	345	0
24.	नयागढ़	799	0
25.	नुआपाड़ा	903	0
26.	पुरी	6851	0
27.	रायगढ़	2561	0
28.	संबलपुर	436	0
29.	सोनपुर	1724	0
30.	सुंदरगढ़	62	0
	कुल	61554	73

*****